

18

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

क्रमांक 22 तारीख दायर 06/08/2020 दिनांक निर्णय 03/09/2020

उनवान

वकील डॉ. अजय बनाम रामकिशन

आवक फ़ावली मु- नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।  
लिखावत बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207 7 का नया कब्जा होना साबित होता है।  
नी काबित बेदखली है।

बोद्ध है कि-

श्री रामकिशन पुत्र/पत्नी इशाराम

मीना निवासी इन्दपुरा

खसरा नं. 55 रकबा 0.16 किस्म घासगाह वाके ग्राम

इन्दपुरा से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान 0.80 की

50 गुणा में मु 40/- रुपये कायमी कराई जावें

पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।

फसल निलाभी हेतु गिरदावर/कानुनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2020-21  
पृष्ठ संख्या 14 पृष्ठ चा. पै. 40/-  
कायम किये गये। फ. ति. 800/-  
पेच  
त. स. स. अलवर

श्री  
नायब तहसीलदार  
राजगढ़ (अलवर)  
राजगढ़ (अलवर)